राजस्थान सरकार
आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय
योजना भवन तिलक मार्ग,जयपुर

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ13/1/13/तक सम./वीएस/डीईएस/2019/789 दिनांकः 30/07/2021

परिपत्र

विषयः– मृत जन्म के पंजीयन में 21 दिवस की अवधि में शिथिलता बाबत्।

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 10.10.2012 द्वारा राज्य के चिकित्सालयों/सीएचसी/पीएचसी कों अधिसूचित कर इन चिकित्सा संस्थानों के प्रभारी अधिकारी जिसमें चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी भी सम्मिलित है, को रजिस्ट्रीकरण करने हेतु उपरजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) घोषित किया हुआ है। इन चिकित्सा संस्थानों/ सीएचसी/पीएचसी को उनके संस्थान परिसर क्षेत्र में घटित जन्म/मृत्यु/मृत जन्म की घटनाओं का केवल अविलम्बित अवधि (21 दिवस) में रजिस्ट्रीकरण करने हेतु निदेशालय के पत्रांक 740–72 दिनांक 12.03.2013 के द्वारा दिशा–निर्देश जारी किए गए है। परन्तु इन चिकित्सा संस्थानों में नियुक्त उपरजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित 21 दिवस के भीतर मृत जन्म की घटनाओं का पंजीयन नहीं किया जा रहा है, जिस कारण राज्य में मृत जन्म का सही डेटा प्राप्त नहीं हो पा रहा है।

अतः जन्म–मृत्यु पंजीयन सम्बधित कार्य की देख–रेख हेतु गठित राज्य स्तरीय अन्तर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन सचिव, आयोजना एवं साँख्यिकी के निर्देशानुसार एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 4(4) के प्रावधान का प्रयोग करते हुए मृत जन्म के शत्–प्रतिशत पंजीयन हेतु चिकित्सा संस्थानों/सीएचसी/पीएचसी में नियुक्त उपरजिस्ट्रार को निर्धारित अवधि (21 दिवस) में मृत पंजीयन की बाध्यता में शिथिलता प्रदान की जाती है तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है कि मृत जन्म की घटनाओं का शत्–प्रतिशत् पंजीयन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त परिपत्र की पालना सुनिश्चित की जावें।

(डॉ.ओम प्रकाश बैरवा)
मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) एवं
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव